साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/16-18

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 8, अंक : 8 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 12 अक्टूबर 2022 से 18 अक्टूबर 2022 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर लगाया 900 करोड़ रुपए का जुर्माना

नई दिल्ली। ठोस नगरीय कचरे का तय वैज्ञानिक मानकों के आधार पर नियमित उपचार न करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का सख्त रवैया कायम है। एनजीटी ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के बाद अब दिल्ली सरकार पर लीगेसी वेस्ट का निपटारा न करने के लिए 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने जुर्माने की यह राशि 300 रुपए प्रति टन के आधार पर तय की है। पीठ ने पाया कि तीनों लैंडफिल साइट्स पर करी 300 लाख टन लीगेसी वेस्ट बिना उपचार के पड़ा हुआ है। पीठ ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की रिपोर्ट में पाया था कि 29 सितंबर, 2022 तक दिल्ली के तीन लैंडफिल साइट्स पर सिर्फ 21 फीसदी लीगेसी वेस्ट का जैव-उपचार किया गया। जबकि तीनों लैंडफिल साइट्स पर 80 फीसदी लीगेसी वेस्ट अब भी गैर उपचारित हैं। दिल्ली मुख्य सचिव की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में प्रतिदिन 11357 टन कचरा निकलता है जिसमें से महज 5361 टन कचरे का ही प्रतिदिन प्रोसेसिंग संभव होता है। वहीं, ट्रिब्यूनल ने गौर किया कि दिल्ली में करीब 5,996 टन कचरा प्रतिदिन बगैर उपचार के रह जाता है। जबकि बिगत तीन वर्षों में उपचार न होने के कारण करीब 66 लाख टन कचरा अतिरिक्त डंपसाइट पर जुटा है और डंप साइट पर लगातार कचरे का बढ़ना जारी है। एनजीटी ने गौर किया कि गाजीपुर लैंडफिल साइट पर 2019 से अब तक महज 7 फीसदी लीगेसी वेस्ट को ही प्रोसेस्ड किया गया। पीठ ने कहा कि हाल ही में सीपीसीबी व कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया था कि पब्लिक हेल्थ और पर्यावरण को करीब 450 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। इसे वसूला जा चुका है लेकिन यह क्षति अब भी जारी है। यह गौर किया गया है कि ठोस कचरे के उपचार संबंधी आदेशों का पालन करने को लेकर बीते 18 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद 9 वर्षों से एनजीटी कोशिश कर रहा है। कुल 26 वर्ष बीत चुके हैं लेकिन आदेशों का पालन नहीं हो पाया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि 22 दिसंबर, 2016 और 11 मार्च 2019 को दिए गए आदेश के मुताबिक लीगेसी वेस्ट के उपचार की अंतिम तारीख 7 अप्रैल, 2021 थी। इस पर भी एक्शन नहीं लिया गया। यहां तक कि गाजीपुर लैंडफिल साइट की फेंसिंग या कंस्ट्रक्टिंग वॉल बनाने के लिए प्राधिकरण 25 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाए। यहां तक कि ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद जुलाई, 2019 में 250 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए गए थे।

पीठ ने कहा कि लगातार डंप साइट से बदबूदार और जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है जो न सिर्फ काफी घनी बस्ती वाले लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है बल्कि ग्राउंड वाटर को प्रदूषित कर रहा है। इस बारे में 28 जनवरी, 2021 को आदेश दिया गया था कि एक स्पेशल परपर व्हिकल (एसपीवी) इस काम के लिए लगाया जाए, लेकिन इस आदेश का भी पालन नहीं किया गया। पीठ नै कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कूड़े के यह पहाड़ पर्यावरण की आपात स्थिति (एनवॉयरमेंटल इमरजेंसी) को प्रदर्शित कर रहे हैं। लगातार मीथेन और अन्य गैस का उत्सर्जन जारी है जो दिल्ली की आबोहवा को प्रदूषित कर रहा है। इन साइट के किनारे रहने वाले लोगों की सेहत खतरे में है। इन कचरे के साइटों पर आग लगने की आशंकाएं भी प्रबल हैं। आग को काबू पाने के लिए न्यूनतम सेफगार्ड्स भी प्राधिकरण की ओर से नहीं अपनाए गए हैं। जबकि आवश्यकता है कि प्राधिकरण युद्धस्तर पर इन कचरे के पहाड़ों के खतरों को कम करें।

पराली बन रही पर्यावरण के लिए बड़ी समस्या, समाधान के लिए केंद्र सरकार देगी वित्तीय सहायता

नई दिल्ली धान की पराली लोगों के साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी बड़ी समस्या बन गया है। पिछले कुछ सालों से दिल्ली-एनसीआर में पराली का धुआं सरकारों के लिए भी परेशानी बन गया है। इस बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि थरमल पॉवर प्लांट और उद्योगों को धान के भूसे की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और टॉरफेक्शन और पेलेटाइजेशन प्लांट स्थापित करने के लिए व्यक्तियों और कंपनियों को एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।

एक कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि इन संयंत्रों की स्थापना से पराली जलाने की समस्या को हल करने और किसानों के लिए आय पैदा करने में मदद मिलेगी।

दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है- अक्टूबर और नवंबर में पंजाब और हरियाणा में धान की पराली जलाने से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इससे सटे इलाकों में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। जिससे कई स्वास्थ्य समस्या हो जाती हैं। अब फिर गेहूं और आलू की खेती से पहले फसल के अवशेषों को जल्दी से हटाने के लिए किसानों ने अपने खेतों में आग लगा दी है।

दो करोड़ से ज्यादा टन धान की पराली पैदा होती है- सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पंजाब और हरियाणा में सालाना लगभग दो करोड़ से ज्यादा टन धान की पराली पैदा होती है, जिसमें से लगभग 6.4 मिलियन टन का प्रबंधन नहीं किया जाता है जिसे जलाया जाता है। वायु प्रदूषण के मुद्दे को हल करने और थर्मल पावर प्लांटों और उद्योगों के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए सरकार ने पहले कोयले के साथ 5 से 10 प्रतिशत बायोमास की सह-फायरिंग अनिवार्य कर दी थी। हालांकि बिजली संयंत्रों द्वारा बायोमास की मांग है लेकिन आपूर्ति काफी धीमी है।

वन्यजीव संरक्षण के लिए नीति पर हुई बात- केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक में आज वन्यजीव संरक्षण और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण से संबंधित विभिन्न नीतिगत मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही बताया कि बैठक में गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र की राज्य सरकार से अपने-अपने राज्यों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए संरक्षण प्रजनन केंद्रों की स्थापना के प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

पर्यावरण के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है खेतों के पास पेड़ों का होना

नई दिल्ली। कृषि के आसपास की झाड़ियों और बाड़े और उनकी सूखी और मृत लकड़ियां पर्यावरण संरक्षण में बहुत ही कारगर साबित होती हैं. खेतों के आसपास जीवित और मृत दोनों तरह के पेड़ रहने से और ज्यादा पेड़ लगाने से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम होते देखे गए हैं. इन ना केवल ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है बल्कि कार्बन भंडारण में भी मदद मिलती है.

विकास और प्रकृति में विरोधाभास हमेशा ही इंसान के लिए समस्याकारक रहा है. साफ तौर पर और बार बार यही देखा गया है कि जब भी विकास कार्य प्रकृति से दूर या उसके खिलाफ होता है इसका सीधा नुकसान पर्यावरण फिर जलवायु और अंततः मनुष्य को ही होता है. नए अध्ययन में दर्शाया गया है कि खेतों के पास पेड़ों का होना पर्यावरण के लिए हमेशा फायदेमंद ही साबित होता है.कृषि भूमि पर जिंदा और मृत दोनों तरह के पेड़ बने रहने और ऐसी जमीन पर और ज्यादा पेड़ लगाने से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी कम किया जा सकता है.

विकास और प्रकृति में विरोधाभास हमेशा ही इंसान के लिए समस्याकारक रहा है. साफ तौर पर और बार बार यही देखा गया है कि जब भी विकास कार्य प्रकृति से दूर या उसके खिलाफ होता है इसका सीधा नुकसान पर्यावरण , फिर जलवायु और अंततः मनुष्य को ही होता है. नए अध्ययन में दर्शाया गया है कि खेतों के पास पेड़ों का होना पर्यावरण के लिए हमेशा फायदेमंद ही साबित होता है.कृषि भूमि पर जिंदा और मृत दोनों तरह के पेड़ बने रहने और ऐसी जमीन पर और ज्यादा पेड़ लगाने से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी कम किया जा सकता है.

ग्लोब चेंज बायोलॉजी में प्रकाशित न्यू यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बेर्टा के अध्ययन में दर्शाया गया है कि मृत और जिंदा पेड़ किसानों के बहुत महत्वपूर्ण साथी और पर्यावरण (के खासे मददगार भी होते हैं. खेतों के आसपास की झाड़ियों और बाड़े की सूखी और मृत लकड़ियों को संरक्षित रखने से कार्बन को कायम रखने और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलती है. ग्लोब चेंज बायोलॉजी में प्रकाशित न्यू यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बेर्टा के अध्ययन में दर्शाया गया है कि मृत और जिंदा पेड़ किसानों के बहुत महत्वपूर्ण साथी और पर्यावरण के खासे मददगार भी होते हैं. खेतों के आसपास की झाड़ियों और बाड़े की सूखी और मृत लकड़ियों को संरक्षित रखने से कार्बन को कायम रखने और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलती है. इस अध्ययन के प्रमुख लेखर और येल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एनवायर्नमेंट के पोस्ट डॉक्टेरल शोधकर्ता कोल ग्रॉस का कहना है कि खेतों के पास के जीवित के साथ साथ मृत पेड़ों को बनाए रखना और वहां ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना जलवायु परिवर्तन) को कम करने में बहुत प्रभावकारी तरीका है. ग्रॉस ने यह अध्ययन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, लाइफ एंड एन्वायर्नमेंटल साइंस में स्वाइल साइंस में पीएचडी पूरी करने के दौरान की थी इस अध्ययन के प्रमुख लेखर और येल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एनवायर्नमेंट के पोस्ट डॉक्टेरल शोधकर्ता कोल ग्रॉस का कहना है कि खेतों के पास के जीवित के साथ साथ मृत पेड़ों को बनाए रखना और वहां ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना जलवायु परिवर्तन को कम करने में बहुत प्रभावकारी तरीका है. ग्रॉस ने यह अध्ययन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, लाइफ एंड एन्वायर्नमेंटल साइंस में स्वाइल साइंस में पीएचडी पूरी करने के दौरान की थी. तीन साल के इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने मध्य अल्बेर्टा के कई खेतों , आसपास के वनस्थलियों , पंक्तिबद्ध पौधो), झाड़ियों और बाड़ों आदि का अध्ययन किया जिनमें प्राकृतिक रूप से ऊगे पेड़ पौधे भी शामिल थे. अध्ययन में पाया गया कि हवा रोकने के लिए लगाई गई झाड़ियां, कतारबद्ध बाड़े, आसपास के गेहूं, बाजरे और सरसों की तुलना में दो से तीन गुना ज्यादा कार्बन सहेजते हैं.

तीन साल के इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने मध्य अल्बेर्टा के कई खेतों , आसपास के वनस्थलियों , पंक्तिबद्ध पौधों), झाड़ियों और बाड़ों आदि का अध्ययन किया जिनमें प्राकृतिक रूप से ऊगे पेड़ पौधे भी शामिल थे. अध्ययन में पाया गया कि हवा रोकने के लिए लगाई गई झाड़ियां, कतारबद्ध बाड़े, आसपास के गेहूं, बाजरे और सरसों की तुलना में दो से तीन गुना ज्यादा कार्बन सहेजते हैं. इन दो तरह की वनस्थलियों ने तीन साल के अध्ययन के दौरान पास के खेतों की तुलना में नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन 89 प्रतिशत तक कम किया था. यह गैस एक प्रभावी ग्रीनहाउस गैस (है. इस शोध को पहले झाड़ियों और बाड़ों की मृत लकड़ी के फायदों का पता लगना के लिए शुरु किया गया था. अध्ययन में पाया गया कि मृत पेड़ों के पदार्थ कार्बन सहेजने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए किसानों को उन्हें ऐसे ही पड़े रहने देना चाहिए. इन दो तरह की वनस्थलियों ने तीन साल के अध्ययन के दौरान पास के खेतों की तुलना में नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन 89 प्रतिशत तक कम किया था. यह गैस एक प्रभावी ग्रीनहाउस गैस) है.

पहली बार गर्भ में पल रहे बच्चे के जिगर, फेफड़े और मस्तिष्क में पाए गए वायु प्रदूषण के कण

बैंगलुरु। वैज्ञानिकों को पहली बार गर्भ में पल रहे भ्रूण के जिगर, फेफड़े और मस्तिष्क में वायु प्रदूषण के कण मिले हैं जो इस बात का सबूत हैं कि मां द्वारा सांस में लिए गए कालिख के नैनोकण प्लेसेंटा को पार कर गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इस बात से ही वातावरण में घुलते इस जहर की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है, जो सिर्फ जन्मों को ही नहीं अजन्मों को भी अपना शिकार बना रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले भी किए गए अध्ययनों में इस बात की पुष्टि हो चुकी है पर्यावरण प्रदूषक अजन्में बच्चे को अपना निशाना बना सकते हैं। उदाहरण के लिए गर्भावस्था के दौरान सिगरेट आदि के धुंए के संपर्क में आने से बच्चों में जन्म सम्बन्धी विकार के मामलों में 13 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी। इसी तरह स्टिलबर्थ का जोखिम भी 23 फीसदी बढ़ जाता है। इसी तरह गर्भावस्था के दौरान अन्य प्रदूषकों जैसे लीड, कीटनाशकों और वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से बच्चे के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है।

लेकिन अब स्कॉटलैंड के एबरडीन विश्वविद्यालय और हैसेल्ट विश्वविद्यालय, बेल्जियम के शोधकर्ताओं द्वारा किए अध्ययन में अजन्मे बच्चों के फेफड़ों, जिगर और मस्तिष्क में वायु प्रदूषण के कणों के पाए जाने के प्रमाण मिले हैं। वैज्ञानिकों का मानना ??है कि गर्भावस्था की पहले तिमाही में वायु प्रदूषण के कण प्लेसेंटा को पार कर गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इस अध्ययन के नतीजे अंतराष्ट्रीय जर्नल लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ में प्रकाशित हुए हैं। इस बारे में शोधकर्ताओं का कहना है कि अजन्में बच्चे में वायु प्रदूषण का पाया जाना बहुत चिंताजनक है क्योंकि गर्भधारण की यह अवधि मानव विकास का सबसे कमजोर चरण है। इस अवधि में ही बच्चे का विकास शुरू होता है। शोधकर्ताओं को अध्ययन के दौरान प्रत्येक क्यूबिक मिलीमीटर ऊतक में हजारों ब्लैक कार्बन के कण मिले हैं जो गर्भावस्था के दौरान मां की सांस के जरिए रक्तप्रवाह और फिर प्लेसेंटा से भ्रूण में चले गए थे।

अपने इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 36 भ्रूणों के ऊतकों से लिए नमूनों का भी विश्लेषण किया है, जिनका गर्भपात सात से 20 सप्ताह के बीच किया गया था। शोधकर्ताओं के अनुसार ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स , जिसे कालिख के कणों के रूप में भी जाना जाता है, उनका गर्भनाल के रक्त में पाया जाना इस बात को दर्शाता है कि यह कण प्लेसेंटा की सुरक्षा को पार कर सकते हैं।

इस बारे में स्कॉटलैंड के एबरडीन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और शोध से जुड़े पॉल फाउलर का कहना है कि यह पहली बार सामने आया है कि ब्लैक कार्बन के नैनोपार्टिकल्स न केवल गर्भावस्था की पहली और दूसरी तिमाही में प्लेसेंटा में प्रवेश कर सकते हैं, बल्कि विकसित हो रहे भ्रूण के अंगों में भी अपनी जगह बना रहे हैं। उनके अनुसार इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह यही कि यह कण बच्चे के मस्तिष्क में भी प्रवेश कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इन सूक्ष्मकणों के लिए मानव भ्रूण के अंगों और कोशिकाओं के भीतर नियंत्रण प्रणालियों को सीधे प्रभावित करना संभव है। हालांकि अपने इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने स्कॉटलैंड और बेल्जियम में गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों की जांच की है। जो धूम्रपान नहीं करती थी और जहां वायु प्रदूषण का स्तर अपेक्षाकृत रूप से कम था। लेकिन इसके नतीजे पूरी दुनिया में बढ़ते प्रदूषण के असर को इंगित करते हैं। भारत जैसे देशों में तो यह समस्या कहीं ज्यादा गंभीर हो सकती है क्योंकि यहां वायु प्रदूषण का स्तर स्कॉटलैंड और बेल्जियम से कहीं ज्यादा है। जर्नल लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन से पता चला है कि वायु प्रदूषण के चलते दक्षिण एशिया में हर साल साल 349,681 महिलाएं मातृत्व के सुख से वंचित रह जाती हैं, जोकि इस क्षेत्र में गर्भावस्था को होने वाले नुकसान का करीब 7.1 फीसदी है। यदि सिर्फ भारत से जुड़े आंकड़ों को देखें तो हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट (एचईआई) द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से पता चला है कि भारत में बढ़ता वायु प्रदूषण हर साल 1.2 लाख नवजातों की जान ले रहा है। वहीं नाइजीरिया में हर साल 67,869, पाकिस्तान में 56,519, इथियोपिया में 22,857, कांगों में 11,100, तंजानिया में 12,662 और बांग्लादेश में 10,496 नवजातों की मौत की वजह वायु प्रदूषण था। भारत में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, देश की करीब सारी आबादी दूषित हवा में सांस लेने को मजबूर है।

11000 KM की साइकिल यात्रा पर निकले कर्नाटक के हर्षेंद्र, पर्यावरण संरक्षण का दे रहे संदेश

झांसी. आज के समय में पर्यावरण संरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा है. हर व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है. कर्नाटक के उडुपी शहर के रहने वाले हर्षेंद्र भी ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं. 23 वर्षीय हर्षेंद्र केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम (त्रिवेंद्रम) से सिंगापुर तक की साइकिल यात्रा पर निकले हैं. लगभग 11 हजार किलोमीटर की यात्रा में से वो अभी तक तीन हजार किलोमीटर का सफर पूरा कर चुके हैं. अपनी यात्रा के दौरान वो उत्तर प्रदेश के झांसी किले पर पहुंचे.

हर्षेंद्र ने बताया कि यह उनकी दूसरी यात्रा है. इससे पहले वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पैदल यात्रा कर चुके हैं. वो अपनी इन यात्राओं के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं. पहले उनकी योजना इस यात्रा को भी पैदल करने की थी. लेकिन, फिर एक व्यक्ति ने उनके लिए साइकिल स्पॉन्सर कर दी जिसके बाद उन्होंने साइकिल से यात्रा करने का निर्णय लिया.

परिवार ने दिया पूरा साथ

हर्षेंद्र ने बताया कि शुरुआत में इस यात्रा के लिए परिवार को मनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन उनके जज्बे को देखकर परिवार ने उन्हें अपना पूरा समर्थन दिया. हर्षेंद्र ने बताया कि वो एक दिन में 100 से 150 किलोमीटर तक की साइकिल यात्रा करते हैं. प्रतिदिन सुबह छह बजे से वो साइकिल चलाना शुरूते हैं. शाम तक वो लगातार अपनी यात्रा को जारी रखते हैं. इसके बाद वो कहीं ठहरने का इंतजाम करते हैं. वो अपने साथ टेंट लेकर चलते हैं.

हर जगह रुकने की हो जाती है व्यवस्था

हर्षेंद्र ने बताया कि इतने दिनों की यात्रा में उन्हें अभी तक रुकने और खाने पर एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा है. यात्रा के दौरान वो जिन भी शहरों से गुजरे हैं वहां लोगों ने उन्हें भोजन कराया और रुकने के लिए जगह भी दी. उन्होंने कहा कि यही भारत की खूबसूरती है जहां लोग पराये-अंजान को भी अपना बना लेते हैं.

हरियाली बढ़ाने पर भी ध्यान दें

इंदौर जनसंख्या बढ़ने से शहर का विस्तार भी तेजी से होता है। जहां विकास को लेकर नई चुनौतियां आती हैं। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की जरूरत है। ऐसा बिलकुल नहीं करना चाहिए कि सिर्फ निर्माण करते जाएं और पर्यावरण को पीछे छोड़ दें। लोगों के लिए सुविधा जुटाने से पहले सरकारी एजेंसियों को हरियाली बढ़ाने पर भी ध्यान देना जरूरी है। प्रत्येक प्रोजेक्ट में पेड़-पौधों को भी जगह दें। उसके बाद ही वातावरण को बेहतर बनाया जा सकता है। यह बात स्पेन के महानगर विशेषज्ञ पेड्रो आर्टिज ने कही। उन्होंने मंगलवार को शहरी क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर अपने विचार रखे। यूरोपीय संघ और इंदौर विकास प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में पांच दिवसीय कार्यशाला ब्रिलियंट कंवेंशन सेंटर में चल रही है। उन्होंने कहा कि शहरों के विकास में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे जहां नई बसावट है वहां से उद्योगों को दूर रखें, क्योंकि उद्योग से निकलने वाला धुआं मनुष्यों के लिए काफी नुकसान दायक रहता है। वेस्ट मटेरियल से पर्यावरण बिगड़ता है। उद्योगों को स्थापित करने से पहले मापदंड पूरे करवाएं। यह काम सरकारी एजेंसियों को गंभीरता से करना होगा।

48 वर्षों में वन्य जीवों की आबादी में दर्ज की गई 69 फीसदी की गिरावट

न्यूयार्क । वैश्विक स्तर पर 1970 से 2018 के बीच 48 वर्षों के दौरान वन्य जीवों की आबादी में 69 फीसदी की गिरावट में दर्ज की गई है। यह जानकारी आज विश्व वन्यजीव कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) द्वारा जारी नई रिपोर्ट लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 में सामने आई है। हैरान कर देने वाली बात है कि नदियों में पाए जाने वाले जीवों की करीब 83 फीसदी आबादी अब नहीं बची है। रिपोर्ट ने इसके लिए इन जीवों के आवास को हो रही हानि और प्रवासी मछलियों के मार्ग में आने वाली बाधा भी उनकी गिरावट की एक बड़ी वजह है। रिपोर्ट के मुताबिक जैवविविधता में सबसे ज्यादा नुकसान दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन में दर्ज की गई है जहां वन्यजीवन में 94 फीसदी की गिरावट आई है। इसके बाद अफ्रीका में करीब 66 फीसदी, एशिया-पैसिफिक में 55 फीसदी की गिरावट आई है। वहीं यूरोप और मध्य एशिया में वन्य जीवों की आबादी में 18 फीसदी जबकि उत्तरी अमेरिका में 20 फीसदी की कमी रिकॉर्ड की गई है। लिविंग प्लैनेट इंडेक्स (एलपीआई) पिछले 50 वर्षों से स्तनधारी जीवों, पक्षियों, मछलियों, सरीसृपों और उभयचरों की आबादी को ट्रैक कर रहा है। 2022 के लिए जारी इस इंडेक्स में वन्यजीवों की 5230 प्रजातियों के 32,000 जीवों की आबादी का विश्लेषण किया है। रिपोर्ट से पता चला है कि जिन उष्?णकटिबंधीय क्षेत्रों में कशेरुकी जीवों की निगरानी की गई है, वहां उनकी संख्या में अचानक से भारी कमी आई है। इस रिपोर्ट में प्रकृति की चिंताजनक स्थिति और भविष्य पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही सरकारों, कंपनियों व लोगों से अपील की है कि वो अपनी गतिविधियों में तत्काल बदलाव लाए जिससे जैवविविधता को होते इस नुकसान को रोका जा सके और जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। रिपोर्ट का कहना है कि धरती अब दोहरे संकट का सामना कर रही है।

जलवायु में आता बदलाव और जैवविविधता का होता पतन दो ऐसे संकट हैं जो इंसानी हस्तक्षेप के चलते कहीं ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। स्पष्ट है कि जब तक हम दोनों संकटों को अलग-अलग समस्याओं के रूप में देखना नहीं छोड़ देते तब तक किसी समस्या का असरदार ढंग से समाधान नहीं किया जा सकता।

इस बारे में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के महानिदेशक मार्को लैम्बर्टिनी का कहना है कि हम मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन के साथ जैवविविधता के होते पतन के दोहरे संकट का सामना कर रहे हैं। जो मौजूदा और भविष्य की पीढ़ियों के लिए खतरा है। वन्यजीवों की आबादी में आती इस विनाशकारी गिरावट, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में एक बड़ी चिंता का विषय है। रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर वन्यजीवों की तेजी से गिरती आबादी के लिए उनके आवास में आती गिरावट, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जीवों के किए जा रहे शोषण, आक्रामक प्रजातियों के हमले और उनमें फैलती बीमारियों को वजह माना है। इस रिपोर्ट में कछारी वनों की भूमिका का भी विशेष रूप से उल्लेख किया है, जिनके संरक्षण व बहाली से जैवविविधता, जलवायु और लोगों के लिए एक अनुकूल समाधान मिल सकता है। हालांकि महत्वपूर्ण होने के बावजूद, मत्स्यपालन, कृषि और तटीय विकास के कारण कछारी वनों का 0.13 फीसदी की वार्षिक दर से पतन हो रहा है।

वहीं आंधियों और तटीय कटाव जैसे प्राकृतिक दबावों के साथ-साथ इनके जरूरत से ज्यादा दोहन और प्रदूषण के कारण भी कई कछारी वनों को नुकसान हो रहा है। इन कछारी वनों के पतन के चलते जैवविविधता और उसके आवास क्षेत्र की भी क्षति होती है। इससे तटवर्ती समुदायों को पारितंत्रीय सेवाएं नहीं मिल पातीं और कुछ क्षेत्रों में इससे उन भूभागों को भी क्षति हो सकती है, जहां तटवर्ती समुदाय रहते हैं। इस रिपोर्ट में 1985 से सुंदरवन के कछारी वन के 137 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हुए कटाव का भी उल्लेख किया है, जिसके चलते वहां रहने वाले करीब एक करोड़ लोगों में से कई लोगों की भूमि और पारितंत्रीय सेवाओं में कमी आई है। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया के महासचिव रवि सिंह का कहना है कि इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि जलवायु परिवर्तन व जैवविविधता की क्षति केवल पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं नहीं है बल्कि यह अर्थव्यवस्था, मानव विकास, सुरक्षा और समाज से जुड़ी समस्याएं भी हैं। ऐसे में इनका समाधान भी एक साथ किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि भारत में जलवायु परिवर्तन जल संसाधन, कृषि, नेचुरल इकोसिस्टम, स्वास्थ्य और आहार श्रृंखला को प्रभावित करेगा। ऐसे में हमें सबको साथ लेकर चलने वाली एक ऐसी सामूहिक कार्य-पद्धति की जरूरत है, जो हम में से प्रत्येक को कार्य करने की शक्ति दे और हमें स्थाई मार्ग पर ले जा सके, जिसमें सभी की समान हिस्सेदारी हो। रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि दुनिया भर में मूल निवासियों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों, शासन और संरक्षण के नेतृत्व को मान्यता और सम्मान दिए बिना प्रकृति अनुकूल भविष्य का निर्माण संभव नहीं है। संरक्षण वबहाली के कार्यों, विशेष रूप से खाद्य सामग्री के अधिक से अधिक स्थाई उत्पादन और उपयोग में वृद्धि और सभी क्षेत्रों को समय रहते यथासंभव कार्बन मुक्त कर इन दो संकटों को कम किया जा सकता है। इस बारे में जूलॉजिकल सोसायटी ऑफ लंदन में कन्जर्वेशन और पॉलिसी के निदेशक डॉक्टर एंड्?यू का कहना है कि इस इंडेक्स से पता चलता है कि कैसे हमने जीवन की नींव को ही काट कर निकाल दिया है, जिससे स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। दुनिया की आधी अर्थव्यवस्थाएं और अरबों लोग आज भी सीधे टॉपर पर प्रकृति पर निर्भर हैं। ऐसे में जैवविविधता के पतन पर विराम और प्रमुख इकोसिस्टम्स की बहाली हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूचि में सबसे ऊपर होने चाहिए, जिससे जलवायु, पर्यावरण व् लोगों के स्वास्थ्य पर बढ़ते संकटों का सामना किया जा सके।

फाल्गुनी नदी में क्यों मर रही हैं मछलियां, एनजीटी में रिपोर्ट दायर

नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा, 29 अप्रैल, 2022 को दिए आदेश के अनुपालन में नियुक्त संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर दी है। इस रिपोर्ट में फाल्गुनी नदी में औद्योगिक अपशिष्ट को छोड़े जाने से हो रही मछलियों की मौत के संबंध में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार नदी के दोनों ओर आवासीय और वाणिज्यिक विकास देखा गया है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में कोई भूमिगत जल निकासी नहीं है।

क्षेत्र में सीवर की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। वहां छोटे-बड़े तूफानी नालों को नदी से जोड़ा गया है। कुद्रोली, सुल्तान बटेरी, डंबेल, कुलूर चर्च और ईएलएफ गैस क्षेत्रों में बहुत अधिक जैविक भार देखा गया है। इतना ही नहीं जांच के दौरान ठोस कचरा नदी में मिलने वाले तूफानी जल नालियों में तैरता हुआ पाया गया था। संयुक्त समिति का कहना है कि उद्योगों, होटलों और अन्य आवासीय क्षेत्रों से एकत्र किए गए सीवेज को नदी में छोड़ा जा रहा है, इसके लिए उचित जांच करने की आवश्यकता है। वहीं गुरुपुरा नदी के ऊपर की ओर लगभग 6 किलोमीटर बैकमपाडी औद्योगिक क्षेत्र में एक वेंटेड बांध बनाया गया है जो मारावूरु ग्राम पंचायत के लिए पेयजल का स्रोत है। जानकारी दी गई है कि इस बांध का निर्माण 2016-17 में किया गया था। इस बांध के निर्माण के बाद से नदी को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है और गर्मी के दौरान नदी में मछलियों के मरने की घटनाएं सामने आई हैं। साथ ही नदी प्रवाह में आई गिरावट के कारण जैविक भार बढ़ रहा है जो मछलियों के मरने की वजह बन रहा है। इस रिपोर्ट को 13 अक्टूबर, 2022 को एनजीटी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। गौरतलब है कि एक मीडिया रिपोर्ट में जानकारी दी गई थी कि फाल्गुनी (गुरुपुरा) नदी में सैकड़ों मछलियां मरी पाई गईं थी। जो नदी में औद्योगिक और घरेलू अपशिष्टों छोड़े जाने के कारण मर रही थी। पता चला है कि मैंगलोर के बैकमपदी औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों द्वारा छोड़े जा रहे अपशिष्ट के चलते नदी का रंग काला हो गया है। एनजीटी ने प्रताप चंद्र मोहंती द्वारा दायर उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग-200 का विकास पर्यावरण नियमों को ताक पर रख कर किया जा रहा है। इस मामले में आवेदकों ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) एनएच-200 के ओडिशा के दुबुरी से चंडीखोल खंड तक मौजूदा 2-लेन को चार लेन का करने में लगा हुआ है। इसकी कुल लम्बाई 388.376 किलोमीटर से 428.074 किलोमीटर है। आरोप है कि निजी ठेकेदारों को राजमार्ग परियोजना के निर्माण के दौरान भारी मात्रा में गौण खनिजों जैसे मिट्टी, मोरम, धातु, पत्थर, बजरी, रेत और स्टोन क्रशर से निकली धूल की आवश्यकता होती है। लघु खनिज खुले बाजार में उपलब्ध नहीं हैं और ऐसे गौण खनिजों का व्यापार उड़ीसा लघु खनिज रियायत नियम, 2016 के तहत राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इन लघु खनिजों के परिवहन के लिए उत्खनन और परिवहन के लिए परमिट की आवश्यक होती है। उनका आरोप है कि इन गौण खनिजों का परिवहन अंतिम उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा बिना किसी वैध ट्रांजिट परमिट के किया जा रहा है। इस मामले में दानागड़ी के तहसीलदार द्वारा आरटीआई के माध्यम से उपलब्ध कराए जवाब का भी हवाला दिया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कि मेसर्स गैमन इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में कोई खदान जारी नहीं की गई है। लिमिटेड मैसर्स गैमन इंफ्रा प्रोजेक्ट (जेवी), एनएचएआई के ठेकेदार, और दानागडी तहसील कार्यालय द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि या उप-ठेकेदार के रूप में है। यह भी कहा गया है कि एनएचएआई या निजी ठेकेदारों के पक्ष में कोई रेत सैराट/मोरम सैराट/स्टोन सैराट आवंटित नहीं किया गया है। ऐसे में एनजीटी ने कहा है कि इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है और कोर्ट ने उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। इनमें ओडिशा सरकार, ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए), ओडिशा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शामिल हैं। इन सभी प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। महाराष्ट्र में ठाणे की अंबरनाथ नगर परिषद ने एनजीटी को सूचित किया है कि उसने पुराने जमा कचरे के प्रबंधन के लिए 17 लाख रुपए का भुगतान कर दिया है। इस बारे में नगर परिषद ने 10 अक्टूबर, 2022 को एक अतिरिक्त हलफनामा कोर्ट में दाखिल किया है जिसमें डंपिंग साइट (चिखलोली, सर्वेक्षण संख्या 132) के भीतर आवासीय भवनों के साथ डंपिंग साइट को दिखाते हुए एक स्केल मैप के साथ-साथ गूगल मैप भी दाखिल किया है। साथ ही अंबरनाथ नगर परिषद ने कोर्ट को जानकारी दी है कि नगर ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 के तहत बफर जोन बनाने के लिए कोई क्षेत्र उपलब्ध नहीं है। जानकारी दी गई है कि पहले डंपिंग और आवासीय भवनों के बीच केवल 20 मीटर की दूरी था, लेकिन अब उसे बढाकर 80 मीटर कर दिया गया है। भविष्य में, उसे आवासीय क्षेत्र से लगभग 100 से 120 मीटर तक दूर करने की योजना है। लेकिन इससे आगे आवासीय भवनों से दूरी बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि प्लॉट के दूसरी तरफ एक गौठान क्षेत्र भी मौजूद है, जो वर्ष 2002 से शुरू से ही डंपिंग साइट का विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि 17 लाख रुपए जमा किए गए हैं। लेकिन वो कहां जहां जमा किए गए हैं यह स्पष्ट नहीं किया गया है। हालांकि इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पास जमा करना था। ऐसे में कोर्ट ने अंबरनाथ नगर परिषद को अगली तारीख यानी 22 नवंबर, 2022 तक अपनी जमा की गई राशि का प्रमाण देने का निर्देश दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) और मैसर्स टेस्मस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड को यमुना नदी पर चल रही रेत खनन परियोजना पर दो महीने के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामला उत्तरप्रदेश के फतेहपुर जिले में खागा तहसील के घडीवा मझीगावां गांव का है। यह मामला घडीवा मझीगवां गांव में यमुना नदी क्षेत्र पर रेत खनन परियोजना से जुड़ा है, जिसे लिए मैसर्स टेस्मस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्रदान की गई थी। इसके तहत 25 हेक्टेयर क्षेत्र में हर वर्ष 2.5 लाख क्यूबिक मीटर रेत खनन के लिए मंजूरी दी गई थी। इस मामले में आवेदक का तर्क है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने, खनन योजना, पर्यावरण प्रभाव आकलन, पर्यावरण प्रबंधन योजना और जन सुनवाई जैसी अपेक्षित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

पर्यावरण मित्रों ने सहयोगी की स्वास्थ्य कामना को लेकर किया पौधारोपण

गया शहर के ब्रह्मयोनि पहाड़ के स्मृति उदयान में गुरुवार की सुबह पर्यावरण मित्रों ने अपने सहयोगी दीपक कुमार जो कि अयोध्या जाने के क्रम में सड़क दूर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गये। उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना को लेकर पौधरोपण किया। इस दौरान लोगों ने बताया कि हमारा पेड़ हमारा पर्यावरण ग्रुप की ओर से 1500 से अधिक पेड़ अबतक विभिन्न कार्यक्रम के दौरान लगाए गए हैं। इस मौके पर अशोक कुमार, डॉ. रामकृत यादव, रविन्द्र सिंह, धर्मेंद्र, सोनी, राहुल राज, अजय साव, डॉ. ब्रह्मचारी अजय कुमार, शुभम आनन्द मेहता के साथ साथ और कई सक्रिय सदस्य भी उपस्थित रहे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008